अंचल अधिकारी .... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 98/16-17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र, संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौज़ा– [illegible] थाना– .... खाता संख्या– 02 प्लॉट संख्या– 190 191 193 195 रकबा– 1–96 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या–..................के पृष्ठ संख्या– 147/2 पर जमाबंदी रैयत [illegible] के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम ज़ामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निधारिण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज़ों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 15/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– अजमुद्दीन मियाँ

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :– पि0 स्व0 [illegible]

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	कु0 ~~रकबा~~ [illegible]
नौडिहा		02	190 191 193 195	

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या............ पृष्ठ सं0–147/2 पर कायम है –

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 02.03

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :–

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :–

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती – 18/02/03

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
I	4967401	10/10/11	2010-2011
II	4968374	25/4/12 →	2012-13

आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/25	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा–नौडीहा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–2, प्लौट सं0– 190, 191, 193, 195 रकबा क्रमशः 0.96 ए0, 0.55 ए0, 0.38 ए0 0.07 ए0 कुल रकबा 1.96 ए0 पर अजमुछीन मियां पिता एकराम मियां के द्वारा जोत–कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा0 सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं0 182/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा–नौडीहा थाना नं0–346 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–2, प्लौट सं0– कुल रकबा 1.96 ए0, की बंदोबस्ती उक्त रैयत अजमुदद्दीन पिता एकराम मियां के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा नौडीहा के मांग पंजी II के पेज सं0 147/2 पर दर्ज होकर वर्ष 2012–13 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई..........समाप्त..................की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 3/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ....98......./2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम ताजमुद्दिन मियाँ S/o एकराम मियाँ
सा0 – नौडिहा

एतद् नोटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा ...नौडिहा.... थाना नं0........ खाता नं0...02... खेसरा नं0.190, 191, 193, 195. रकबा.........1.96 से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0........ पंजी भाग के पृष्ठ ...142.....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक 05/11/24 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकारं द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं ट साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के मे युक्ति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि : मुहर

स्थान :

28/10/2024

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय :- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी केस नं० 98/16-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा नौडिहा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि उक्त मौजा खाता सं० 02 प्लॉट सं० 190, 191, 193, 195 रकबा क्रमशः 0.96 ए०, 0.55 ए०, 0.38 ए०, 0.07 ए० कुल रकबा 1.96 ए० पर अजमुद्दिन मियाँ S/o. एकराम मियाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनु० पदा० के बंदोबस्ती वाद सं० 182/02-03 के अन्तर्गत दिनांक 11-7-03 को मौजा नौडिहा थाना नं० 346 के अन्तर्गत खाता 02 प्लॉट सं० 190, 191, 193, 195 कुल रकबा 1.96 ए० की बन्दोबस्ती उक्त रैयत अजमुद्दिन मियाँ पिता एकराम मियाँ के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा नौडिहा के मांग पंजी II के पेज नं० 147/II पर दर्ज होकर वर्ष 2012-13 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

03/11/25

विश्वासभाजन
धीरेन्द्र दीक्षित
रा० उ० नि०
हल्का - II

प्रेम कुमार
अंचल अमीन मनातू

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.11.04 17:08:39 +05:30
Location: 10.83.87.97